न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

मुकदमा नंबर 59/2017 वाद पत्र अंतर्गत धारा 88आर0टी0एक्ट तारीख रजू 19–07–2017

उनवान

1–हेमराज पुत्र सुवा जाति रेबारी मुसलमान निवासी लहसोडा तहसील व जिला स0माधोपुर

बनाम वादी

1– सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील सवाई माधोपुर

वकील वादी
श्री एस0एस0गुप्ता
पेरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0टीनेन्सी एक्ट अधिनियम

निर्णय दिनांक : 15 – 07 –2019

पत्रावदी निर्णय हेतु पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी राजस्व ग्राम लहसोडा में स्थित साबिक खसरा नंबर 106 मे से मिन नंबर 106/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा पर देरीना कब्जा काश्त होने के कारण वादी ने नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था , वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नियमन की सिफारिश करते हुए दिनांक 09–10–77 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18–07–1978 को तत्कालीन उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा विवादित भूमि खसंरा नंबर 106/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि नियमन की गई थी ।वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म व नायब तहसीलदार की सिफारिश में हेमराज पुत्र सुवा दर्ज है । लेकिन नियमन आदेश में हेमराज पुत्र पून्या रेबारी दर्ज है । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेखो का गहनता से अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया । वादी ने दौराने साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र व गवाह के रूप में रामसिंह पुत्र विरजू रेवारी का शपथ पत्र पेश किया एवं साक्ष्य में प्रदर्श –1 लगायत प्रदर्श –19 दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये ।प्रकरण में तहसलदार सवाई माधोपुर द्वारा पत्र कमांक:भू0अ0/2017/956 दिनांक 7–02–18 को प्रेषित जवाब का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

बहस उभय पक्ष वकुलाय की सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखो एवं आवंटन हेतु नियमन पत्रावली संख्या 1452/77 उनवानी सरकार बनाम हेमराज पुत्र पून्या रेवारी की पत्रावली को जिला अभिलेखागार से तलब कर गहनता से अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियमन आदेश दिनांक

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

–07–78 हेमराज पुत्र पून्या रेवारी के नाम से हुआ है । वादी स्वयं को हेमराज पुत्र सुवा वारी की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है । वादी ने सन् 1978 की त्रृटि की दुरूस्ती हेतु दिनांक 26–4–77 को अर्थात् 39 वर्ष पश्चात् वाद पत्र प्रस्तुत किया है । घोषणा हेतु वाद पत्र की म्याद भी 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पोषणीय नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । क्योकि वरवक्त नियमन के समय ही वादी को नियमन आदेश एवं नियमन के आदेश की पालना में तस्दीक किये गये गैरखातेदारी के नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 2–1–79 के आधार पर राजस्व अभिलेख की जानकारी होते हुए भी 39 वर्ष पश्चात् वाद पत्र प्रस्तुत करना सन्हेहास्पद प्रतीत होता है । इसके विपरित वादी ने नियमन आदेश दिनांक 18–07–78 की दुरूस्ती हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत नही की है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने के कारण वाद पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15 –07–19 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो तथा नियमन पत्रावली संख्या 1452/77 सरकार बनाम हेमराज के साथ निर्णय की एक प्रति संलग्न की जाकर अविलम्ब अभिलेखागार में प्रेषित की जावे ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 15:39:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: